FIRST INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला ....चूरू......... थाना.......प्रधान आरक्षी केंद्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर......वर्ष 2023.......
   प्र.इ.रि.सं...146.../2023........ दिनांक...08.06.2023....
2. (I) अधिनियम...भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा...7......
   (II) अधिनियम........................–...................... धारा..................–....................
   (III) अधिनियम........................–...................... धारा..................–....................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ......146.........................समय.....12:30pm
   (ब) अपराध घटने का दिन...............18.01.2023...................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....17.01.2023.........समय.....03.30पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– पूर्व–दक्षिण दूरी करीब 50 किलोमीटर।
   (ब) पताः– झुन्झुनू
   बीटसंख्या....................जयरामदेही सं..
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.......जिला ......
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री शाहरूख खान
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री मुमताज खान कायमखानी
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :– 33 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि......जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय :– ....ड्राईवर ....
   (ल) पता ... .आथुणा मौहल्ला चूरू ....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   (1) श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह गाव–पोस्ट खुडानिया पुलिस थाना मण्ड्रेला जिला झुन्झुनू हाल कानि. नम्बर 1265 यातायात शाखा झुन्झुनू।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....3,500रूपये रिश्वत की मांग......................
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामे,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू

विषयः– श्री विक्रम हवलदार ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू को रिश्वत लेते पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मै शाहरूख खान पुत्र श्री मुमताज खान कायमखानी आथुणा मौहल्ला चूरू का रहने वाला हूँ। हमारे चार गाडिया है, जिसमें गाडी नम्बर आरजे 18 जीए 5475, आरजे 18 जीबी 0517 व आरजे 18 जीए 4669 की आरसी मेरे चाचा असलम के नाम से है तथा एक गाडी नम्बर आरजे 10 जीए 7116 जो मेरे ताया युनस के नाम से है। इन चारो गाडियो में तीन गाडी छः चक्का है तथा एक गाडी दस चक्का हैं। हम इन गाडियों से ग्रीट व बजरी मोडा पहाड से लेकर आते हैं। मै गाडी पर ड्राईवर का काम करता हूँ तथा सभी गाडियों के झुन्झुनू आने व जाने के खर्चे के बारे में मै ही लेन–देन करता हूँ। मेरे चाचा ने लेन–देन करने बाबत मुझे ही कह रखा हैं। हम जब ग्रीट व बजरी लेकर वापस आते है तो ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू का हवलदार श्री विक्रम सिंह हमारी गाडियों को रोककर चालान / सीज करने की धमकी देता हैं। मैने श्री विक्रम सिंह से बात की तो विक्रम ने कहा कि अगर आपको बिना चालान व सीज के गाडिया चलानी है तो छः चक्का गाडी के प्रति गाडी 1,000रूपये प्रति माह तथा दस चक्का गाडी के 1,500रूपये प्रति माह बन्धी के मुझे देने होगें। मैने कहा कि हमारी चार गाडिया है तो विक्रम ने कहा कि छः चक्का तीन गाडियों के तीन हजार रूपये व एक दस चक्का गाडी के पन्द्रह सौ रूपये कुल चार गाडियों के 4,500रूपये प्रति माह दे देना, मै आपकी गाडियों को सीज नही करूगा तथा ना ही चालान करूगा। श्री विक्रम हवलदार ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू मेरे से हमारी चार गाडियों के प्रति माह बन्धी (इन्ट्री) के नाम से 4,500रूपये रिश्वत की मांग कर रहा हैं मैं उसे रिश्वत के नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी विक्रम हवलदार ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश नहीं है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांक 17.01.2023

प्रार्थी
एसडी शाहरूख खान
शाहरूख खान पुत्र श्री मुमताज खान
कायमखानी आथुणा मौहल्ला चूरू
मो0न0 9784243124

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 17.01.2023 को 3.30 पीएम पर शाहरूख खान पुत्र श्री मुमताज खान कायमखानी उम्र 23 वर्ष निवासी आथुणा मौहल्ला चूरू ने हाजिर कार्यालय होकर उक्त रिपोर्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर अपनी रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुऐ बताया कि श्री विक्रम हवलदार ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू मेरे से हमारी चार गाडियों के प्रति माह बन्धी (इन्ट्री) के नाम से 4,500रूपये रिश्वत की मांग कर रहा हैं मैं उसे रिश्वत के नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी विक्रम हवलदार ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश नहीं है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। उक्त रिपोर्ट मै मेरे किसी निजी जानकार से लिखवाकर लाया हूँ जिसने मेरे कहे अनुसार लिखकर दी है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। परिवादी की रिपोर्ट एव मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाता है फिर भी रिश्वती मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

परिवादी शाहरूख खान को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बधं में पुछा तो बताया कि कल मै हमारी गाडी नम्बर आरजे 18 जीए 5475 को लेकर ग्रीट लाने के लिए झुन्झुनू जाउंगा तो मुझे श्री विक्रम सिंह हवलदार झुन्झुनू में रास्ते में मिल सकते है जिससे मै

वार्ता कर सकता हूँ। कल मै झुन्झुनू जाउंगा तब आपको फोन कर दुगा। इस पर परिवादी शाहरूख खान का श्री राजकुमार कुमार कानि से परिचय करवाकर परिवादी को सरकारी टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की विधि समझाकर हिदायत की गई कि कल गाडी लेकर झुन्झुनू जाये तब फोन कर देना ताकि श्री राजकुमार कानि को टेप रिकॉर्डर देकर आपके साथ रवाना किया जा सके। बाद हिदायत परिवादी को रूखस्त किया गया।

दिनांक 18.01.2023 को समय 3.00 पीएम पर परिवादी शाहरूख खान ने जरिये मोबाईल बताया कि मै अब हमारी गाडी नम्बर आरजे 18 जीए 5475 को लेकर ग्रीट लाने के लिए झुन्झुनू जा रहा हूँ जिस पर श्री राजकुमार कुमार कानि को सरकारी टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बाद हिदायत रवाना किया गया। वक्त 10.00 पीएम पर कानि राजकुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर परिवादी शाहरूख खान के साथ उसकी गाडी में रवाना होकर झुन्झुनू पहाड पर पंहुचे, मगर विक्रम सिंह हवलदार हमे रास्ते में नही मिला जिस पर परिवादी ने कहा कि विक्रम मेरे से मोबाईल पर भी बात कर लेता है। परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर 9784243124 से आरोपी श्री विक्रम हैड कानि के मोबाइल नम्बर 6377619039 पर वार्ता की। मोबाईल के स्पीकर को ऑन करके परिवादी व विक्रम सिंह के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता को हम दोनो ने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। वार्ता के दौरान परिवादी ने विक्रम सिंह से पुछा कि आज आप पहाडी की तरफ आओगे क्या तो विक्रम सिंह ने कहा कि आज नही आउंगा। परिवादी ने कहा कि एक गाडी के हजार रूपये तो मै अभी धर्म काटे पर देकर चला जाउगा तथा अपनी तीन अन्य गाडिया है जिनके कितने देने होगें तो विक्रम सिंह ने कहा कि धर्म काटें पर जाकर मेरी बात करा देना। बाद में परिवादी ने कहा कि आज धर्म काटें पर नही जायेगें फिर कभी जब विक्रम सिंह खुद मिलेगा तब उसी को रूपये देगें, मै जब भी गाडी लेकर झुन्झुनू आउगा तब आपको बता दुंगा। इस पर परिवादी अपनी गाडी में ग्रीट भरकर चला गया और मै वहां से रवाना होकर आया हूँ। टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया जिसमें स्पष्ट मांग नही है। टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 07.02.2023 को वक्त 2.00 पीएम पर परिवादी शाहरूख खान ने जरिये मोबाईल बताया कि ग्रीट की बिक्री नही होने के कारण मै गाडी लेकर झुन्झुनू नही गया था। विक्रम हवलदार का दिनांक 04.02.23 को 12.19 पीएम पर मेरे पास उसके पहले वाले नम्बरो से ही फोन आया और मेरे को कहा क्या बात हुई आया नही तब मैने उसको कहा कि गाडी खाली नही हुई थी इसलिए नही आया एक–दो दिन में आता हूँ। आज सुबह भी श्री विक्रम हवलदार का उसी नम्बर से मेरे मोबाईल पर मिसकॉल आया है। आज मेरी गाडी खाली हो गई है तो मै अब हमारी गाडी नम्बर आरजे 18 जीए 5475 को लेकर ग्रीट लाने के लिए झुन्झुनू जा रहा हूँ जिस पर श्री राजकुमार कुमार कानि को सरकारी टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बाद हिदायत रवाना किया गया।

वक्त 8.30 पीएम पर कानि राजकुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर परिवादी शाहरूख खान के साथ उसकी गाडी में रवाना होकर झुन्झुनू शहर स्थित एमआर धर्मकाटें से पहले पंहुचे। परिवादी शाहरूख खान ने बताया कि धर्मकांटे पर विक्रम सिंह मिल सकता है। जिस पर मैने टेप रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर मै गाडी से वहीं उतर गया तथा परिवादी अपनी गाडी लेकर आगे धर्म काटें की तरफ चला गया। करीब 10–15 मिनट बाद परिवादी गाडी लेकर मेरे पास आया तथा मेरे को बंद टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि रवाना होने के बाद मैने टेप रिकॉर्डर को चालु कर लिया तथा धर्म काटें पर विक्रम सिंह हवलदार खडा था जिसको धर्म काटे के कमरे में बुलाकर मैने कहा कि एक हजार रूपये 5475 के तो अब दे रहा हूँ, तीन गाडी जिसमें एक गाडी दस चक्का है तथा दो गाडी छः चक्का है के कितने देने है तो विक्रम सिंह ने कहा कि आप किसी को भी पुछ लेना दस चक्का के प्रतिमाह के 1500 रूपये तथा छः चक्का गाडी के प्रतिमाह के 1,000रूपये लगेगें। विक्रम सिंह ने मेरे को कहा कि एन्ट्री करवा दो गाडियों के नम्बर लिखा दो मै गाडी को पकड लुगा उसके बाद फोन करने पर मै गाडी नही छोडुगा तथा धर्मकांटे के वजन की पर्ची लगाकर गाडी को सीज करूंगा तब मैने कहा कि कोई बात नही मेरी तीन और गाडियों के नम्बर लिखा देता हूँ तब विक्रम सिंह ने कहा कि गाडियों के नम्बर धर्मकांटे पर नाथा को लिखा दो तो विक्रम सिंह के सामने ही धर्मकाटें पर बैठे नाथा को मैने मेरी तीनो गाडियों 4669, 0517,7116 के नम्बर नोट करवा दिये। उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। मैने आज गाडी नम्बर 5475 के एक हजार रूपये तो विक्रम

सिंह को दे दिये है तथा तीन गाडियों के 3,500रूपये मेरे को और रिश्वत के और देने हैं जो मै अब दुबारा जब भी आउंगा तब देने होगें। कानि ने सत्यापन वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 08.02.2023 को वक्त 1.30 पीएम पर परिवादी श्री शाहरूख खान हाजिर चौकी आया तथा कानि राजकुमार के द्वारा दिनांक 18.01.2023 व दिनांक 07.02.2023 को बताये गये तथ्यों को दोहराया। रिश्वती मांग सत्यापन की दिनांक 18.01.23 को मोबाईल पर हुई वार्ता व दिनांक 07.02.23 को रिकॉर्ड वार्ता की टेप को परिवादी शाहरूख खान व कानि राज कुमार के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता वार्ता को बारी–बारी से दो खाली नये पैन ड्राईव जिस पर Kingston 32 GB लिखा है में दोनो वार्ताओं को डाउन लोड कर उक्त वार्ता को पुनः सुना गया तो उक्त वार्ता दर्ज होना पाया गया। वॉईस क्लीप पैन ड्राईव में रिकॉर्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'A' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दुसरा पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। उक्त वार्ता की एक डीवीडी जरिये कम्प्यूटर श्री राजपाल सिंह कानि से आरोपी हेतु तैयार करवायी गई जिसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'B' अंकित किया गया। दोनो पैन ड्राईव व डीवीडी को जमा मालखाना करवाया गया। मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता से श्री विक्रम सिंह यातायात शाखा झुन्झुनू ने परिवादी शाहरूख खान से उसकी चार गाडियां बिना रोक–टोक झुन्झुनू से चूरू ग्रीट व बजरी परिवहन करने के नाम से छः चक्का तीन गाडियों के तीन हजार रूपये व एक दस चक्का गाडी के पन्द्रह सौ रूपये, कुल चार गाडियों के 4,500रूपये प्रति माह बन्धी (इन्ट्री) के नाम से मांग कर एक गाडी के 1,000रूपये प्राप्त कर शेष 3,500रूपये लेने के लिए सहमत होने के तथ्य पाये गये। परिवादी शाहरूख खान को हिदायत की गई तीन गाडिया आपके चाचा असलम के नाम से है जिनको भिजवाये बाद हिदायत परिवादी को इजाजत दी गई।

वक्त 6.30 पीएम पर श्री असलम पुत्र श्री यासिन खान कायमखानी निवासी आथुणा मौहल्ला चूरू हाजिर कार्यालय आया तथा परिवादी शाहरूख खान के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की ताईद करते हुऐ बताया हमारे चार गाडिया है, जिसमें गाडी नम्बर आरजे 18 जीए 5475, आरजे 18 जीबी 0517 व आरजे 18 जीए 4669 की आरसी मेरे नाम से है जिसकी आरसी की प्रति पेश कर रहा हूँ तथा एक गाडी नम्बर आरजे 10 जीए 7116 जो मेरे बडे भाई युनस के नाम से है। इन चार गाडियो में तीन गाडी छः चक्का है तथा एक गाडी दस चक्का हैं। हम इन गाडियों से ग्रीट व बजरी मोडा पहाड से लेकर आते हैं। मेरा भतीजा शाहरूख खान गाडी पर ड्राईवर का काम करता है तथा सभी गाडियों के झुन्झुनू आने व जाने के खर्चे के बारे में लेन–देन करता हैं। जब गाडियों में ग्रीट व बजरी लेकर वापस आते है तो ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू का हवलदार श्री विक्रम सिंह हमारी गाडियों को रोककर सीज करने की धमकी देता हैं। शाहरूख खान ने श्री विक्रम सिंह से बात की तो विक्रम ने कहा कि अगर आपको बिना चालान व सीज के गाडिया चलानी है तो छः चक्का गाडी के प्रति गाडी 1,000रूपये प्रति माह तथा दस चक्का गाडी के 1,500रूपये प्रति माह बन्धी के मुझे देने होगें। मेरे भतीजे ने कहा कि हमारी चार गाडिया है तो विक्रम ने कहा कि छः चक्का तीन गाडियों के तीन हजार रूपये व एक दस चक्का गाडी के पन्द्रह सौ रूपये, कुल चार गाडियों के 4,500रूपये प्रति माह दे देना, मै आपकी गाडियों को सीज नही करूगा तथा ना ही चालान करूगा। श्री विक्रम हवलदार ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू हमारी चार गाडियों के प्रति माह बन्धी (इन्ट्री) के नाम से 4,500रूपये रिश्वत की मांग कर रहा हैं मैं उसे रिश्वत के नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी विक्रम हवलदार ट्रेफिक पुलिस झुन्झुनू से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश नहीं है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। मेरे भतीजे शाहरूख खान ने मेरे कहे अनुसार ही आपको कार्यवाही बाबत रिपोर्ट दी हैं।

दिनांक 09.02.2023 को वक्त 10.15 एएम पर श्री शाहरूख खान हाजिर चौकी आया तथा बताया कि मेरी गाडी नं. 4669 खाली है जिसको लेकर मै आज झुन्झुनू ग्रीट लाने के लिए जाउगा तथा रिश्वत में दिये जाने वाले 3,500रूपये साथ लाया हूँ। वक्त 11.00 एएम पर दो सरकारी कर्मचारी श्री बजरंग सिंह सीए–III व श्रवण कुमार एसएसए–II तलविदा हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों का परिवादी शाहरूख खान से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व

सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया। मन् उप अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी शाहरूख खान ने रूबरू गवाहान, रिश्वत में दिये जाने वाले 3,500रूपये प्रस्तुत किये। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 12.05 पीएम पर परिवादी शाहरूख खान के साथ कानि राजकुमार को परिवादी के वाहन से तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री बजरंग सिंह, श्रवण कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री ओम प्रकाश, राकेश कुमार, राजपाल सिंह, बसंन्त सिंह कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर एक प्राईवेट व एक निजी से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना होकर झुन्झुनू शहर से दो किलोमीटर पहले पंहुच गाडियों को साईड में रूकवाया गया। परिवादी को उसकी गाडी से रवाना किया गया, मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के गोपनीय स्थान पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

वक्त 4.30 पीएम पर परिवादी शाहरूख खान अपनी गाडी में ग्रीट भरकर झुन्झूनू से चूरू रोड पर वापस आया व बताया कि आरोपी श्री विक्रम सिंह ने मेरे से अभी तक कोई सम्पर्क नही किया है तथा पहाडी की तरफ जाते व आते समय रास्ते में भी नही मिला हैं। विक्रम सिंह मुझे मिला नही इसलिए मैने टेप रिकॉर्डर को चालु भी नही किया। परिवादी की जेब में रखी रिश्वती राशि गवाह श्रवण कुमार से निकलवाकर एक कागज में लपेट कर सुरक्षित रखी गई। परिवादी से टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको बाद हिदायत मुनासिफ रूखस्त कर मै उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के झुंझुनू से चूरू के लिए रवाना होकर वक्त 6.00 पीएम पर चूरू पंहुचा, रिश्वती राशि को सुरक्षित रखा गया। दोनो गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर इजाजत दी गई।

दिनांक 17.03.2023 को वक्त 2.00 पीएम पर पूर्व वार्तानुसार परिवादी श्री शाहरूख खान हाजिर चौकी आया तथा बताया कि मेरी गाडी नं. 4669 खाली है जिसको लेकर मै आज झुन्झुनू बजरी लाने के लिए जाउगा। पाबंद शुदा स्वतन्त्र गवाहा श्री मुकेश कुमार मीणा हैल्पर–I व श्रवण कुमार एसएसए–III हाजिर चोकी आये। इसलिए आमदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी शाहरूख खान से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया। तलविदा गवाह मुकेश कुमार मीणा को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व बताया जाना आवश्यक है। इसलिए दिनांक 09.02.2023 को परिवादी श्री शाहरूख खान से प्राप्त कर सुरक्षित रखी गई रिश्वती राशि तीन हजार पांच सौ रूपये के नोटो को निकलवाया जाकर रिश्वती राशि परिवादी के पहनी पेंट की आगी की बांयी जेब में रखवाई जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 3.15 पीएम पर परिवादी शाहरूख खान के साथ कानि राजकुमार व श्रवण कुमार को परिवादी के वाहन से तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश कुमार मीणा, श्रवण कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री महेन्द्र कुमार पुनि, गिरधारी सिंह सउनि, ओम प्रकाश, राकेश कुमार, राजपाल सिंह, बसंन्त सिंह, रिपेन्द्र सिंह कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर वाहन सरकारी व चालक हिम्मत सिंह तथा एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना होकर झुन्झुनू शहर से पांच किलोमीटर पहले पंहुच गाडियों को साईड में रूकवाया गया। परिवादी शाहरूख खान को हिदायत कर अपनी गाडी सहित रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के गोपनीय स्थान पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

वक्त 5.20 परिवादी शाहरूख खान अपनी गाडी में ग्रीट भरकर झुन्झूनू से चूरू रोड पर वापस आया व बताया कि श्री विक्रम सिंह ने मेरे से अभी तक कोई सम्पर्क नही किया है तथा पहाडी की तरफ जाते व आते समय रास्ते में भी नही मिला हैं। विक्रम सिंह मुझे मिला नही इसलिए मैने टेप रिकॉर्डर को चालु भी नही किया। अब मै मेरी गाडी लेकर चूरू जा रहा हूँ। आईन्दा विक्रम सिंह का फोन आने पर या मेरी जब गाडी खाली होने के बाद वापस भरने के लिए झुन्झुनू आउंगा तो मै आपको सूचना कर दुंगा। परिवादी की जेब में रखी रिश्वती राशि गवाह श्रवण कुमार से निकलवाकर एक कागज में लपेट कर सुरक्षित रखी गई। परिवादी को बाद हिदायत मुनासिफ रूखस्त कर मै उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के झुंझुनू से रवाना

होंकर वक्त 8.00 पीएम पर चूरू पुहचा। रिश्वती राशि को सुरक्षित रखा गया। दोनो गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर इजाजत दी गई।

दिनांक 13.04.2023 को परिवादी श्री शाहरूख खान ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर बताया कि पिछले 20—25 दिनों से झुन्झुनू नही जाकर बीरमसर से ब्लास्ट लेकर आता हूँ। मेरे पास विक्रम का फोन भी नही आया हैं तथा मै भी गाडी लेकर झुन्झुनू नही गया हूँ। मैने फरवरी माह में बन्धी के रूपये देने की बात विक्रम से की थी उसके बाद आज तक मैने विक्रम को बन्धी के रूपये नही दिये हैं लेकिन विक्रम का फोन भी मेरे पास नही आया हैं। अब श्री विक्रम मेरे से रिश्वत नही लेगें। अब आगे ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है इसलिए अब मै आगे कार्यवाही नही करवाना चाहता हूँ। मेरे द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि मुझे लौटाई जावे। परिवादी के द्वारा उक्त तथ्यों के सम्बधं में एक रिपोर्ट भी पेश की जो शामिल की गई। चुकि प्रकरण में अब आगे कार्यवाही सम्भव नही है इसलिए परिवादी शाहरूख खान के द्वारा दिनांक 09.02.2023 को पेश की गई रिश्वती राशि 3,500रूपये जो सुरक्षित रखे है को परिवादी को जरिये रसीद सुपुर्द कर रसीद शामिल की गई। परिवादी शाहरूख खान को बाद हिदायत इजाजत दी गई। समय—समय पर की गई कार्यवाही का रनिंग नोट तैयार किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री शाहरूख खान के चाचा श्री असलम पुत्र यासिन के नाम से तीन गाडियां आरजे 18 जीबी 0517, आरजे 18 जीए 4669 व आरजे 18 जीए 5475 है व परिवादी के ताउ श्री युनस के नाम से गाडी नम्बर आरजे 10 जीए 7116 हैं। इन चार गाडियो में तीन गाडी छः चक्का है तथा एक गाडी दस चक्का हैं। परिवादी इन गाडियों से ग्रीट व बजरी मोडा पहाड झुन्झुनू से चूरू लेकर आते हैं। परिवादी शाहरूख खान गाडियों पर ड्राईवर का काम करता है तथा परिवार का सदस्य होने के नाते परिवादी के चाचा असलम व ताउ युनस ने सभी गाडियों के झुन्झुनू आने व जाने के खर्चे के बारे में लेन—देन करने बाबत परिवादी को कह रखा हैं जिसकी ताईद परिवादी के चाचा श्री असलम ने की हैं। परिवादी जब अपनी चारो गाडियों में ग्रीट व बजरी भर कर झुन्झुनू से वापस चूरू आता है तो यातयात पुलिस झुन्झुनू में पदस्थापित श्री विक्रम सिंह कानि 1265 गाडियों को रोककर सीज करने की धमकी देता हैं। परिवादी श्री शाहरूख खान ने श्री विक्रम सिंह यातयात पुलिस झुन्झुनू से बात की तो विक्रम ने कहा कि अगर आपको बिना चालान व सीज के गाडिया चलानी है तो छः चक्का गाडी के प्रति गाडी 1,000रूपये प्रति माह तथा दस चक्का गाडी के 1,500रूपये प्रति माह बन्धी के मुझे देने होगें। इस प्रकार आरोपी श्री विक्रम सिंह यातायात पुलिस झुन्झुनू ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी शाहरूख खान से उसकी चार गाडियां बिना रोक—टोक झुन्झुनू से चूरू ग्रीट व बजरी परिवहन करने के नाम से छः चक्का तीन गाडियों के तीन हजार रूपये व एंक दस चक्का गाडी के पन्द्रह सौ रूपये, कुल चार गाडियों के 4,500रूपये प्रति माह बन्धी (इन्ट्री) के नाम से मांग कर एक गाडी के 1,000रूपये दौराने सत्यापन प्राप्त कर शेष 3,500रूपये लेने के लिए सहमत होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। दिनांक 07.02.2023 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री विक्रम सिंह कानि द्वारा परिवादी से रिश्वत के सम्बधं में वार्ता कर गाडियों के नम्बर एमआरएम धर्मकांटा झुन्झुनू के श्री नथा को लिखा देने का कहने पर मौके पर मौजुद श्री नथा के द्वारा परिवादी की गाडियो के नम्बर नोट किये हैं। एमआरएम धर्मकांटा झुन्झुनू के श्री नथा की मिलीभगत के बारे में दौराने अनुसंधान स्पष्ट की जावेगी।

अतः श्री विक्रम सिंह कानि. नम्बर 1265 यातायात शाखा झुन्झुन के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह हाल कानि. नं. 1265, यातायात शाखा, झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 146/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8/6/23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1101-05 दिनांक 08.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-2, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला झुन्झुनूं।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

8/6/23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।